कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हनुमानगढ़

वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र भवन, हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़

फोन नं. 01552–262027 ई–मेल dlsahanumangarh@gmail.com

क्रमांक :– डीएलएसए/पीएलवी/2015/01 दिनांकः– 07 दिसम्बर 2015

–ःविज्ञप्तिः–

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के परिपत्र क्रमांक 12 दिनांक 23.09.2015 तथा पत्र क्रमांक 10027–10067 दिनांक 06.10.2015 में दिये गये निर्देशानुसार हनुमानगढ़ मुख्यालय पर 30 (रिजर्व पैनल 10) व ताल्लुका स्तर पर 56 (रिजर्व पैनल 08) पैरा लीगल वॉलिन्टीयर्स के पद पर प्रशिक्षण हेतु चयन कर पैनल तैयार करने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैः–

नोहर	–	10	रिजर्व पैनल 04
भादरा	–	10	रिजर्व पैनल 04
संगरिया	–	08	
रावतसर	–	08	
पीलीबंगा	–	08	
टिब्बी	–	08	

1. **शैक्षणित योग्यताः–**
   - आवेदक को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकेण्डरी परीक्षा अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिये।
   - अभ्यर्थी को देवानागरी लिपि में पढ़ने की कुल मिलाकर अच्छी व व्यापक जानकारी व क्षमता होनी चाहियें।

2. **आवेदन पत्रः–**
   - इस परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दिये गये प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।

3. **परीक्षाः–**
   - आवेदकों का प्रशिक्षण हेतु चयन करने के पश्चात् उन्हे प्रशिक्षण दिया जावेगा एवं प्रशिक्षण के पश्चात् पीएलवी की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार लिया जाकर उन्हे प्रशिक्षण प्राप्त पीएलवी माना जाकर उन्हे सफल घोषित किया जावेगा। सफल घोषित किये जाने के पश्चात् उन्हे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पहचान पत्र दिया जावेगा जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रतीक चिन्ह होगा।

4. **चरित्रः–**
   - आवेदक द्वारा दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी एवं संबंधित ग्राम पंचायत के संरपंच/ सचिव द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो आवेदक के संबंधित न हों।
   - ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र 06 माह की अवधि से पुराने नहीं होने चाहियें।

5. **शारीरिक योग्यताः–**
   - आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहियें तथा उसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष जो किसी सामान्य सेवाओं के परिपालन में बाधा डालता हो, नही होना चाहियें।

6. **आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख प्रस्तुत किये जावेः–**
   - जन्म तिथि प्रमाण पत्र हेतु सैकेण्डरी स्कूल परीक्षा की अथवा प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
   - शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति।
   - दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित जो 06 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहियें।
   - आवेदन पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो लगा होना चाहिये।
   - जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
   - मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
   - 2 लिफाफे साईज 10 गुणा 24 से.मी. आकार के 5/– रूपये के डाक टिकट व स्वयं के पूर्ण पता सहित।

7. **आवेदन की अन्तिम तिथि:–** आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 11 जनवरी 2016 को सांय 05.00 बजे तक स्वीकार किये जावेगें। ताल्लुका स्तर के आवेदन पत्र ताल्लुका विधिक सेवा समिति कार्यालय पर भी आवेदन जमा करवा सकते है। इस तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा वांछित आवेदन प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों अथवा आवश्यक प्रमाण पत्रों की संलग्न न होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जावेगा एवं उस पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

8. **पात्रता:–**

- पीएलवी चयन करते समय यदि अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते है तो छंटनी कर साक्षात्कार के लिये बुलाया जावेगा। पीएलवी चयन हेतु पीएलवी चयन हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के संबंध में जो भी सुनिश्चित किया जायेगा व महिलाओं को प्राथमिकता दी जावेगी। निम्नाकिंत व्यक्ति भी पीएलवी चयन हेतु आवेदन कर सकते है:–
  - ➢ सेवा निवृत्त अध्यापक या राजकीय कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक, एन.एस.डब्ल्यू. छात्र व अध्यापक, आगंनबाड़ी कार्यकर्ता, डॉक्टर/फिजीशियन, छात्र व विधि छात्र (जब तक वे वकालत के लिए एनरॉल न हो) गैर राजनितिक सदस्य, एन.जी.ओ., क्लबस, महिला ग्रुप, मैत्री संगम, स्वयं सहायता समूह, शिक्षित बंदी जिसका अच्छा व्यवहार हो व लम्बे समय से सजा काट रहा हो, अन्य व्यक्ति जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या ताल्लुका विधिक सेवा समिति सक्षम व योग्य समझें।

9. **चयनित पी.एल.वी. के कर्तव्य (ड्यूटी):–**

- ➢ समाज के कमजोर वर्गो के लोगों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
- ➢ आम नागरिकों के विवादों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ताल्लुका विधिक सेवा समिति, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदातल व मध्यस्थता व राजीनामा के जरिये निस्तारित किये जाने की जानकारी देना।
- ➢ पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षेत्र में होने वाले कार्यो पर नजर रखना व अन्याय होने की स्थिति में जरिए दूरभाष संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखित में या मौखिक रूप से अवगत करवाना।
- ➢ पीड़ित व्यक्ति की समुचित देखभाल व द.प्र.सं. की धारा 357–ए के तहत समुचित मुआवजा मिलने बाबत जानकारी देना।
- ➢ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व ताल्लुका विधिक सेवा समिति द्वारा अधिकृत किये जाने पर जेल, लॉकअप, मनोरोग अस्पताल, सम्प्रेषण गृह का निरीक्षण करना व उन्हे विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
- ➢ बाल अधिकार, बाल श्रम, बालकों का गायब होना, कन्याओं का अवैध व्यापार सम्बन्धी अधिनियमों की अवज्ञा होने पर नजदीकी विधिक सेवा संस्था को जानकारी देना।
- ➢ विवादों का सेटलमेन्ट, प्रिलिटिगेशन, लोक अदालत, मध्यस्थता, मिडियेशन के बारे में जानकारी देना व उनकी उपयोगिता बताना।
- ➢ पी.एल.वी. द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ताल्लुका विधिक सेवा समिति को उनके क्षेत्र में होने वाले विधिक सेवा कार्यक्रमों व शिविरों की जानकारी देना।
- ➢ पी.एल.वी. द्वारा आम जनता को यह भी जानकारी दी जायेगी कि स्थाई लोक अदालत द्वारा विवादों का निस्तारण, पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ, दूरसंचार, विद्युत सप्लाई, वाटर सप्लाई, बीमा व अस्पताल संबन्धी सेवाओं के विवाद कम खर्च में निस्तारित होते है।
- ➢ पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षेत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं सम्बन्धी उपलब्ध कराये गये मेटेरियल को प्रचार व प्रसार करना।

10. **स्पष्टीकरण:–** यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकों का अपने आवेदन पत्र में पी.एल.वी. के कार्य हेतु जहां पीएलवी कार्य करना चाहता है यथा जिला मुख्यालय पर/ताल्लुका मुख्यालय पर अंकित करना आवश्यक है। संबंधित आवेदक संबंधित ताल्लुका के लिये ही आवेदन करें किसी अन्य ताल्लुका या जिला स्तर पर आवेदन न करें। चयनित पी.एल.वी. को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ द्वारा समय–समय पर नियत (फिक्स) मानदेय के अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई वेतन, पारिश्रमिक या पैकेज नहीं दिया जावेगा। अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिये आवेदक कार्यालय समय में इस कार्यालय के दूरभाष नम्बर पर सम्पर्क कर सकते है।

नोट:– आवेदनकर्ता संलग्न प्रारूप में आवेदन करें।

अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
हनुमानगढ़

क्रमांक :— डीएलएसए/पीएलवी/2015/5896-5845 दिनांकः— 09 दिसम्बर 2015

प्रतिलिपिः—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बीकानेर।
3. अध्यक्ष, ताल्लुका विधिक सेवा समिति, नोहर/भादरा/संगरिया/रावतसर/पीलीबंगा/टिब्बी।
4. जिला कलक्टर, हनुमानगढ़।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, हनुमानगढ़।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति,
7. नोहर/भादरा/संगरिया/रावतसर/पीलीबंगा/टिब्बी।
8. जिला कारागृह, हनुमानगढ़।
9. उप जिला कारागृह, नोहर/भादरा।
10. थानाधिकारी, पुलिस थाना, हनुमानगढ़ जंक्शन/सदर थाना/महिला पुलिस थाना/हनुमानगढ़ टाउन।
11. अध्यक्ष, बार संघ, हनुमानगढ़/ नोहर/भादरा/संगरिया/रावतसर/ पीलीबंगा/टिब्बी।
12. नोटिस बोर्ड, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हनुमानगढ़।
13. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय/बार संघ/कलेक्ट्रैट/जिला परिषद्, हनुमानगढ़।
14. नोटिस बोर्ड, अध्यक्ष ताल्लुका विधिक सेवा समिति, नोहर/भादरा/ रावतसर/पीलीबंगा/टिब्बी/सगंरिया।
15. नोटिस बोर्ड, बार संघ, नोहर/भादरा/संगरिया/रावतसर /पीलीबंगा/टिब्बी।
16. आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली।

अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
हनुमानगढ़

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हनुमानगढ़

वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र भवन, हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़

फोन नं. 01552–262027 ई–मेल dlsahanumangarh@gmail.com

क्रमांक :– डीएलएसए/पीएलवी/2015/ दिनांक:– दिसम्बर 2015

पासपोर्ट साईज फोटो स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त

1. आवेदक का नाम..
2. पिता/माता का नाम..
3. जन्म तिथि..
4. शैक्षणित योग्यता..
5. विशेष योग्यता..
6. अनुभव..
7. जिला मुख्यालय/ताल्लुका का नाम..
   (जहाँ आवेदक सेवाएं देने हेतु इच्छुक हो)
8. स्थायी पता..
   ....
   ....
9. वर्तमान पत्राचार पता..
   ....
   ....
10. दूरभाष व मोबाईल नम्बर ....

आवेदक के हस्ताक्षर

–:सहमति पत्र:–

मै..पुत्र/पुत्री श्री निवासी.. विधिक सेवा केन्द्रों पर संचालित होने वाले कार्यो के लिये पैरा लीगल वॉलिन्टीयर (पीएलवी) की सेवाएं देने बाबत अपनी सहमति प्रदान करता हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर